बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
–::संकल्प::–

पटना–15, दिनांक........................

श्री सामदेव नारायण दास, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–636/2011 तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता–सह–कार्यपालक दंडाधिकारी, खगड़िया के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 454/स्था0 दिनांक 29.06.2015 द्वारा आरोप प्रपत्र–'क' प्राप्त हुआ। पुनः जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 804/स्था0 दिनांक 11.12.2015 द्वारा श्री दास के द्वारा नशे की हालत में कार्यालय आने एवं अपने कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने संबंधी पूरक आरोप पत्र प्रतिवेदित किया गया। तत्पश्चात श्री दास को समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3918 दिनांक 14.03.2016 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक 3981 दिनांक 15.03.2016 द्वारा निलंबित किया गया। विभागीय संकल्प ज्ञापांक 8393 दिनांक 10.06.2016 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित है।

2. अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 16.04.2019 को बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के निलंबन, विभागीय कार्यवाही एवं अभियोजन स्वीकृति से संबंधित मामलों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री दास के विरूद्ध रिश्वत लिये जाने या प्रत्यानुपातिक धनार्जन से संबंधित मामला नहीं है। अतएव समीक्षोपरांत श्री दास जो दिनांक 14.03.2016 से निलंबित है को निलंबन से मुक्त किये जाने के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई किये जाने का निर्णय लिया गया।

3. तत्पश्चात अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत श्री दास को निलंबन से मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार श्री सामदेव नारायण दास, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक 636/2011 को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

4. श्री दास, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में अपना योगदान (पदस्थापन की प्रतीक्षा हेतु) करेगें।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(राम बिशुन राय)
सरकार के अवर सचिव।

निबंधित स्पीड पोस्ट

ज्ञापांकः–08/आरोप–01–89/2015 सा0प्र0..2012.......**/ पटना–15 दिनांक**..05-7-19

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी, बिहार, पटना)/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां/जिला पदाधिकारी, खगड़िया/श्री सामदेव नारायण दास, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–636/2011 सम्प्रति निलंबित मुख्यालय आयुक्त का कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12 एवं 14/चारित्री कोषांग एवं आई॰ टी॰ मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.7.19

सरकार के अवर सचिव।